भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 648
दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

महिलाओं को स्वरोजगार

648. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार से संबंधित योजना शुरू करने के लिए कोई रोडमैप तैयार किया है;
(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बालिकाओं के लिए कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो क्या उक्त योजनाओं का लाभ ग्रामीण अथवा निरक्षर परिवारों को मिल रहा है;
(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरूआत के बाद से बालिकाओं के प्रति परिवारों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन देखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

i. भारत सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
ii. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को **'स्टैंड-अप इंडिया'** के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये की राशि के 81% ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
iii. **'मुद्रा' (या प्रधानमंत्री सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी) योजना** के तहत, महिलाओं के स्वामित्व वाले और संचालित उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये के 68% ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
iv. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत,** 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं लगभग 80 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर, ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को कई नवीन और सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से बदल रही हैं, साथ ही कोलेटरल मुक्त ऋण के माध्यम से सरकारी सहायता भी प्राप्त कर रही हैं।
v. **स्टार्टअप इंडिया** पहल के तहत उद्यमिता पर विशेष ध्यान देते हुए महिलाओं के नेतृत्व वाले काफी उद्यमों को ऋण वितरित किए गए हैं।
vi. **राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम**, कृषि जिंसों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, **"किसान कॉल सेंटर"** किसानों के प्रश्नों का टेलीफोन कॉल पर उनकी अपनी बोली में जवाब दे रहे हैं, **किसान सुविधा** जैसे मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को उन बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद कर रहे हैं जिनका वे बाजारों तक पहुंचने में सामना करती हैं।
vii. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम** महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, वृक्षारोपण फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावर लूम बुनाई, एकीकृत सहकारी

विकास परियोजनाएं, आदि से संबंधित गतिविधियों से संबंधित सहकारी समितियों में नियोजित और संलग्न हैं।

viii. **बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन** महिलाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, सामान्य श्रेणी के किसानों की तुलना में महिला किसानों, लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी/सहायता प्रदान करता है। कृषि विपणन अवसंरचना घटक के तहत, महिलाएं कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत कृषि मशीनरी, उपकरण और उपकरण खरीदने के लिए उच्च दरों पर सब्सिडी की पात्र हैं।

ix. नागरिकों की पहुंच के भीतर सरकार-से-नागरिक (जी2सी) ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए, 5.4 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र स्थापित करते हुए, भौतिक सेवा वितरण आईसीटी अवसंरचना निर्मित की गई है। ये केंद्र देश भर में फैले हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे ग्रामीण डिजिटल उद्यमी बनते हैं, जिनमें से 67,000 से अधिक महिला उद्यमी हैं।

x. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन** (पीएम-एसवाईएम) असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है जो किसी अन्य पेंशन स्कीम के तहत शामिल नहीं हैं। असंगठित श्रमिकों में ज्यादातर महिला घरेलू कामगार, फेरी वाले, मिड-डे मील कामगार, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोग शामिल हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु समूह के हैं।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में कार्यान्वित स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें की हैं। मंत्रालय 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम '**मिशन शक्ति**' को कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य अधिक दक्षता, प्रभावशीलता और वित्तीय विवेक के लिए संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहलों को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति की अम्ब्रेला स्कीम में महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए "सामर्थ्य" नामक दो उप-स्कीमें हैं। 'सामर्थ्य' उप-स्कीम के तहत, महिलाओं के लिए केंद्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तरों पर महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक ऐसा माहौल जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें, निर्मित करने के लिए एक नया घटक अर्थात महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) शामिल किया गया है। एचईडब्ल्यू के तहत सहयोग में महिलाओं को उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और देश भर में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर डिजिटल साक्षरता तक पहुंच सहित विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध स्थापनों में मार्गदर्शन, लिंकिंग और सहयोग का प्रावधान है।

(ग) और (घ): बालिकाओं की शिक्षा और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ प्रमुख स्कीमें निम्न प्रकार हैं:

i. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) स्कीम का समग्र लक्ष्य बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है।

ii. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय** प्राथमिक से माध्यमिक और 12वीं कक्षा तक बालिकाओं का सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों से संबंधित सीमांत समुदायों की बालिकाओं (10-18 वर्ष) के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवासीय सुविधाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है।

iii. **लड़कियों के लिए उड़ान कार्यक्रम**–उड़ान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परियोजना है जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन और कक्षा XI और XII में लड़कियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन विज्ञान पाठ्यक्रमों के प्रावधान के माध्यम से स्कूली शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बीच शिक्षण अंतर का समाधान करती है।

iv. **राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट स्कीम**– ईडब्ल्यूएस से संबंधित लड़कियों को 1000/- रुपये प्रति माह के नकद प्रोत्साहन से स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को रोकने की स्कीम।

v. **सुकन्या समृद्धि योजना** बालिकाओं के माता-पिता के लिए एक बचत स्कीम है। यह स्कीम माता-पिता को अपनी बालिका की भविष्य की शिक्षा के लिए एक कोष बनाने में मदद करती है। सुकन्या समृद्धि खाते पर अन्य बचत स्कीमों की तुलना में अधिक दर पर ब्याज मिलता है जो बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

(ङ): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। स्कीम ने भारत में सीएसआर में गिरावट के मुद्दे पर चिंता जताई है। जन्म पर लिंग अनुपात (एसआरबी) में राष्ट्रीय स्तर पर 16 अंकों के सुधार, 2014-15 में 918 से 2021-22 में 934 (स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) से ऐसा परिलक्षित होता है। और शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई डेटा के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात भी 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2021-22 में 79.4% हो गया है।

*****